

(आदेश 20 नियम 6,7 जा,दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

श्री बिन्दुबाला राजावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

1. रुपलाल पिता मोड़ीराम सोनी निवासी बड़ीसादड़ी राज.

—वादी


|| बनाम ||

1. दिनेश पिता मोड़ीराम सोनी निवासी बड़ीसादड़ी राज.
2. रमेश पिता अंबालाल सोनी निवासी बड़ीसादड़ी राज.
3. भैरुलाल पिता छोगालाल सोनी निवासी बड़ीसादड़ी राज
4. चंदलाल पिता गोपीलाल सोनी निवासी बड़ीसादड़ी राज.
5. दामोदरलाल पिता गोपीलाल सोनी निवासी बड़ीसादड़ी राज.
6. गिरधारी पिता मनोहरलाल सोनी निवासी बड़ीसादड़ी
7. गोपाल पिता मनोहरलाल सोनी निवासी बड़ीसादड़ी
8. ख्यालीलाल पिता पोखरलाल पुर्विया निवासी बड़ीसादड़ी
9. भगवतीलाल पिता लच्छीराम कुम्हार निवासी बड़ीसादड़ी
10. तहसीलदार, बड़ीसादड़ी राज.

—प्रतिवादीगण


प्रकरण सं. 59/2013 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.वादी की ओर से वकील ऋषि लव मुणेत की उपस्थिति में और प्रतिवादी एक पक्षीय कार्यवाही में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है मौजा बड़ीसादड़ी की आराजियात सं. 623, 631 व 609/2 में प्रतिवादी क्रमांक 3 भैरुलाल का नाम विलोपित किया जाकर उक्त स्थान पर वादी रुपलाल का नाम जोड़ा जाकर खातेदारी में नाम दर्ज की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे...X... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित...X... को दी जावे।
यह आज दिनांक 18.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।


(बिन्दुबाला राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी

क्रमांक/राजस्व/2023/193 दिनांक:- 18.7.23
मूल ही डिग्री की प्रति तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेजकर लेख है कि डिग्री अनुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।




उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी

